न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रा.पत्र संख्या :: 119 / 2019

तहसीलदार, (भूमिधारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
प्रार्थी

बनाम

1. शंभुलाल पिता लक्ष्मण रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
2. चुन्नीलाल पिता हंजा रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
3. भगवानलाल पिता लक्ष्मण रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
4. मांगीलाल पिता लक्ष्मण रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
5. धन्नीबाई पिता लक्ष्मण रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
6. बाबूलाल पिता शंकरलाल रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
7. कमला पिता शंकरलाल रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
8. सजना पिता शंकर लाल रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
9. प्यारीबाई पत्नी शंकरलाल रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
10. एजन पिता खेमा रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
11. थानी बाई पत्नी ओम जी रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
12. गिन्दोलीबाई पत्नी रत्तिराम रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
13. चुन्नीलाल पिता हंजा रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
14. हीरालाल पिता बाघा रेबारी निवासी आमल्दा तह0 बेगूं

उपस्थित :: तहसीलदार,बेगूं
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांकः: 06.09.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट

तहसीलदार,बेगूं द्वारा एल आर.एक्ट 1956 धारा 136 के अन्तर्गत नक्शा तरमीम में इन्द्राज दुरूस्ती का जरिये पत्रांक 1653 दिनांक 12.07.2019 को प्रेषित कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम आमल्दा में आराजी नं. 555 रकबा 2.07 हैक्टर बिलानाम भूमि मे से फर्दन–फर्दन आवंटन हुए है जिनके नवीन आराजी नं. 889 / 555 रकबा 0.97 हैक्टर आराजी नं. 890 / 555 रकबा 0.41 आ.नं. 1038 / 555 रकबा 0.37 व शेष आराजी नम्बर 555 रकबा 0.32 बने है। अब कोई रकबा शेष नहीं है।

यह कि आराजी नम्बर 889 / 555 रकबा 0.97 हैक्टर के आवंटन बाबत ना.सं. 103 दर्ज हुआ है परन्तु आवंटन पत्रावली के नक्शा ट्रेस मुताबिक 0.97 का दो टुकडो में आवंटन हुआ है। जिसके अनुसार एक टुकडा दक्षिण–पश्चिम कौने पर है जिस पर मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है। आवंटी चुन्नीलाल पिता हंजा रेबारी द्वारा बेचान से उक्त आराजी नं. 889 / 555 रकबा 0.97 वर्तमानर में थानी बाई पत्नि ओमजी 1 / 3 गिन्दोली बाई पत्नी रत्तिराम 8 / 19 चुन्नीलाल पिता हंजा 14 / 59 रेबारी सा.देह के नाम दर्ज है। नक्शा लठ्ठा में आराजी नं. 889 / 555, 890 / 555,1038 / 555 की तरमीम हो रही जो आवंटन ट्रेस व मौके अनुसार सही नही है।

पटवारी हल्का नन्दवाई के मौका पर्चा सहमति पत्र दिनांक 03.07.2019 अनुसार मौजा आमल्दा की आराजी नं. 555 मे फर्दन–फर्दन आवटन को नक्शा तरमीम हेतु जो रिकोर्ड आवंटन ट्रेस अनुसार प्रस्तावित है, कृषको की प्रस्तावित ट्रेस अनुसार सहमति है,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सहमति स्वरूप मौका पर्चा एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पर ख्यातेदारों के हस्ताक्षर करवाये गये। मौजा आमल्दा की पूर्व तरमीम आराजी नं. 889/555, 890/555,1038/555 निरस्त किये जाने व आराजी नं. 889/555 का रकबा 0.82 व 0.15 हैक्टर अनुसार दो खसरे दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

अतः निवेदन है कि प्रस्तावित ट्रेस व रिकोर्ड ट्रेस अनुसार आराजी नं. 889/555, 890/555,1038/555 व 555 एल.आर.एक्ट 1956 धारा 136 के अन्तर्गत नक्शा तरमीम में इन्द्राज दुरस्ती व आराजी नं. 899/555 रकबा 0.97 के दो नवीन खसरा नम्बर रकबा 0.82 व 0.15 हैक्टर के अंकन की स्वीकृति प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं. 2071–74 मौजा आमल्दा प.ह. नन्दवाई का आवलोकन हमारे द्वारा किया गया, खाता संख्या 32 में दर्ज खसरा नम्बर 890/555 रकबा 0.41 हैक्टर भूमि खेमा पिता माधू जाति रेबारी सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज होकर जरिये ना.सं. 1005 दिनांक 17.07.2015 शुद्धि से खेमा पिता माधू के बजाय खेमा पिता नाथू रेबारी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दिये जाने का नोट लालस्याही अंकित है। इसी खाते में ना.सं. 1010 दिनांक 05.08.2015 विरासत से खेमा के बजाय बाबूला, कमला सजना पिता स्व.शंकरलाल, प्यारीबाई पत्नि स्व. शंकरलाल, ऐजन पिता खेमा रेबारी का नाम दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित है।

खाता संख्या 76 में दर्ज आराजी संख्या 889/555 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि थानीबाई पत्नि ओमजी 2/3, गिन्दोलीबाई पत्नि रत्तिराम 8/19, चुन्नीलाल पिता हंजा 14/57 रेबारी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है साथ ही जरिये शुद्धि पत्र कमांक 1 दिनांक 13.06.2018 से थानीबाई पत्नि ओमजी का हिस्सा 2/3 के बजाय 1/3 दर्ज होने का नोट लालस्याही से अंकित है। खाता संख्या 257 में दर्ज आराजी संख्या 1038/555 व 1052/891 कुल रकबा 0.94 हैक्टर भूमि श्री हीरालाल पिता बागा जाति रेबारी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 15.6.82 के अवलोकन से पाया कि आराजी संख्या 555 रकबा 12बीघा 16 बिस्वा भूमि मे से रकबा 6 बीघा श्री चुन्नीलाल पिता हंजा रेबारी सा.देह के नाम आवंटन होकर गैरखातेदारी हक से दर्ज हुई है जिसके आराजी खसरा नम्बर 889/555 है। नकल नामान्तरण संख्या 104 दिनाक 15.06.1982 के अवलोकन से पाया कि बिलानाम आराजी खसरा संख्या 555मीन रकबा 6बीघा 16 बिस्वाप भूमि का आवंटन श्री खेमा पिता माधु रेबारी सा.देह के नाम पर होकर गैरखातेदारी हक से भूमि दर्ज है तथा आराजी खसरा नम्बर 890/555 रकबा 2बीघा 10बिस्वा भूमि दर्ज है।

पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा मौजा आमल्दा के आवंटन नक्शे की प्रमाणित नकल का अवलोकन किया गया जिसमें आराजी नम्बर 555 को आवंटी चुन्नीलाल पिता हंजा रेबारी को आवंटन की गई आराजी नं. 889/555 के आवंटन का अंकन नक्शे में दो टुकडो मे किया जाना दर्शित होता है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत नकल ट्रेस का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया जिसमें आराजी नम्बर 889/555, 890/555,1038/555 का नक्शे में अंकन लठ्ठे के

(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

अनुसार होना दर्शाया है। आराजी नं0 555 जो कि नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 मोजा आमल्दा की रकबा 0.32 हे0 भूमि शम्भूलाल भगवानलाल मांगीलाल धन्नीबाई पिता लक्ष्मण जाति रेबारी साकिन देह के नाम दर्ज है। आंवटन नक्शा ट्रेस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 933 व 1095 वर्ष 1981 के आंवटन नक्शा ट्रेस का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। उक्त आंवटन नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी नं0 555 में नवीन आंवटित आराजी नं0 890/555 रकबा 0.41 हे0 का अंकन उत्तर दिशा में, आराजी नं0 889/555 के एक टूकड़े रकबा 0.82 हे0 का अंकन आराजी नं0 890/555 के दक्षिणी भाग में, आराजी नं0 1038/555 रकबा 0.37 हे0 का अंकन आराजी नं0889/555 के दक्षिणी भाग एवं आराजी नं0 555 रकबा 0.32 हे0 का अंकन दक्षिणी पश्चिमी कोने पर व आराजी नं0 889/555 के एक टूकडे रकबा 0.15 हे0 का अंकन दक्षिणी पुर्वी कोने पर होना चाहिए जो प्रस्तावित नक्शा ट्रेंस अनुसार सही है, इस बाबत् दुरूस्ती की जाकर तरमीम करने हेतु संबन्धित खातेदारों द्वारा सहमति दी गयी है जिसका सहमति पत्र संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज के अवलोकन के अनुसार हम मौजा आमल्दा की आवंटित आराजी संख्या 555 में हुई गलत तरमीम को प्रस्तावित नक्शे की तरमीम के अनुसार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थनापत्र तहसीलददार बेगूँ का अ0 धा0 136 एल0आर0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मोजा आमल्दा की आराजी संख्या 889/555, 890/555, 1038/555 व 555 में प्रस्तावित नक्शाट्रेस के अनुसार इन्द्राज दुरस्ती की जाकर तरमीम की जावे एवं आराजी नं. 889/555 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि के दो नवीन खसरा नम्बर रकबा 0.82 हैक्टर एवं 0.15 हैक्टर भूमि के अंकित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। आदेश की पालना हेतु प्रति तहसीलदार, बेगूॅ को दी जाती है।

आदेश दिनांक 06.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

6/9/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

प्रतिलिपि पालनार्थ : तहसीलदार बेगूँ।

Scanned by CamScanner